CENTRE FOR SCIENCE AND ENVIRONMENT

MAIN OFFICE: 41, Tughlakabad Institutional Area, New Delhi-110 062 INDIA
Tel: 2995 5124, 2995 6110, 2995 6394, 2995 6399 **Fax:** 91-11-2995 5879 **Email:** cse@cseindia.org **Website:** www.cseindia.org
BRANCH OFFICE: Core 6A, Fourth Floor, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110 003
Tel: 2464 5334, 2464 5335

LEAVES OF IMPORTANT SURVIVAL TREES IN INDIA — MAHUA, KHEJDI, ALDER, PALMYRA AND OAK

प्रेस विज्ञप्ति

मृदु पेय पदार्थों के कटु सत्य

प्रयोगशाला के परीक्षण में सभी परीक्षण किए गए कोल्ड ड्रिंक में कीटनाशक के अवशेष पाए गए

मृदु पेय पदार्थ बनाने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की गुणवत्ता के दावों में कितना खोखलापन है?

किस प्रकार भारतीय उपभोक्ताओं पर घटिया उत्पादों को थोपा जा सकता है?
किस प्रकार ये कम्पनियां ऐसे गलत कार्यों को चलाए रख सकती हैं?

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2003: अंग्रेजी में छपने वाली पत्रिका, 'डाउन टू अर्थ' ने सेंटर फॉर साइंस एण्ड इन्वायरन्मेंट के पोल्यूशन मोनिटरिंग लेबोरेटरी (पीएमएल) द्वारा किए गए परीक्षण के आधार पर इस बात का पर्दाफाश किया कि दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्र में बिकने वाली 12 कोल्ड ड्रिंक के मुख्य ब्रांडों की बोतलों में कीटनाशक के अवशेष हैं। इस वर्ष के फरवरी महीने में सीएसई ने बोतलबंद पानी के उद्योगों के स्वच्छ पानी के दावों का भंडाफोड किया था, जब इसकी प्रयोगशाला को दिल्ली और मुम्बई में बेची जाने वाली बंद बोतलों में कीटनाशक अवशेषों का पता चला।

इस बार इसने दिल्ली और इसके आसपास बेची जाने वाली कोल्ड ड्रिंक के 12 ब्रांडों की चीजों को परखा। इसमें ऑरगेनोक्लोरीन तथा ऑरगेनोफॉस्फोरस कीटनाशकों तथा सिंथेटिक पाइरेथ्रायड की जाँच की गई। इन सभी का भारत में कीटनाशकों के रूप में उपयोग किया जाता है।

इस जाँच के परिणाम भी पहले की तरह चौंका देने वाले थे।

इनके सभी नमूनों में चार काफी जहरीले कीटनाशकों के अवशेष थे: लिंडेन, डीडीटी, मैलाथियन और क्लोरपाईरिफॉस। इसके सभी नमूनों में कीटनाशक अवशेषों की मात्रा पेयजल में 'यूरोपियन इकॉनामिक कमीशन' (ईईसी) द्वारा निर्धारित कीटनाशक अवशेषों की अधिकतम मात्रा से कहीं ज्यादा पाई गई। प्रत्येक नमूने में पर्याप्त जहर था, जिनसे एक लम्बी समय में कैंसर, स्नायु तथा प्रजननतंत्र को नुकसान, जन्मजात की विकृति और प्रतिरोधक तंत्र में खराबी उत्पन्न हो सकती है।

हमें क्या मिला

- बाजार की दिग्गज कंपनियां कोका-कोला तथा पेप्सी में लगभग बराबर मात्रा में कीटनाशक के अवशेष थे। पेप्सी कम्पनी के सभी ब्रांडों के प्रति लिटर द्रव्य में 0.0180 मिलीग्राम की औसत से कुल कीटनाशक मौजूद था, जो कि ईईसी द्वारा कुल स्वीकृत कीटनाशक की सीमा (0.0005 मिग्रा/लि) से 36 गुना ज्यादा है। कोका-कोला के सभी ब्रांडों में कुल कीटनाशकों की मात्रा 0.0150 मिग्रा/लि थी, जो कि ईईसी द्वारा निधारित सीमा से 30 गुना ज्यादा है।
- 'दिल मांगे मोर' का नारा लगाने वाली पेप्सी में ईईसी सीमा से 37 गुना ज्यादा, और 'ठंडा मतलब कोका कोला' में ईईसी सीमा से 45 गुना ज्यादा मात्रा में कीटनाशक अवशेष पाया गया।
- सभी परखे गए ब्रांड के नमूनों में 'मिरिंडा लेमन' सबसे पहली श्रेणी में था, जिसके प्रति लिटर पेय पदार्थ में कीटनाशक की सांद्रता 0.0352 मिग्रा की थी।
- यूएस से लाई गई कोका-कोला और पेप्सी की बोतलों में कीटनाशक का कोई अवशेष नहीं पाया गया।

PATRON
SHRI K.R. NARAYANAN

Founder Director
ANIL AGARWAL

EXECUTIVE BOARD

Chairperson
M.S. SWAMINATHAN

Director
SUNITA NARAIN

Members
B.D. DIKSHIT
B.G. VERGHESE
ELA BHATT
G.N. GUPTA
KAMLA CHOWDHRY
VIKRAM LAL
VIRENDRA KUMAR
WILLIAM BISSELL

The Centre for Science and Environment is a non-governmental, non-profit organisation registered in New Delhi, set up to disseminate information about science and environment

भारत में बोतलबंद पानी की तुलना में मृदु पेय पदार्थों के क्षेत्र में काफी कमाई होती है। सन 2001 में भारतीयों ने 65,000 लाख कोल्ड ड्रिंक का सेवन किया। इसकी बढ़ती लोकप्रियता का अर्थ है कि जो बच्चे और किशोर इन बोतलों को गटक रहे हैं, वे दरअसल एक जहरीली मिश्रण पी रहे हैं।

पीएमएल ने यूएस में बेचे जाने वाले दो मृदुपेय ब्रांडों की जाँच की, यह देखने के लिए कि कहीं इनमें कीटनाशक तो नहीं है। और इनमें कीटनाशक नहीं पाए गए।

अत: सवाल यह उठता है कि कैसे गुणवत्ता के प्रति सजग दिखने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियां मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त उत्पादों को बेच सकती है?

सीएसई ने पाया कि शक्तिशाली और विशाल बोतलबंद मृदुपेय उद्योग के लिए नियम-कानून काफी कमजोर हैं और सच पूछो तो मौजूद ही नहीं है। कोल्ड ड्रिंक की गुणवत्ता को नियंत्रित करने के मापदण्डों की परिभाषा का कोई अर्थ नहीं है। यह खाद्यान्न क्षेत्र वास्तव में अनियंत्रित हैं।

भोजन अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम (पीएफए), 1954 और फल उत्पाद निर्देश (एफपीओ), 1955 दोनों ही अनिवार्य अधिनियम हैं, जिनका लक्ष्य कोल्ड ड्रिंक जैसे पेय में पदार्थों की गुणवत्ता को नियंत्रित करना है, लेकिन इनमें मृदु पेय में कीटनाशकों को नियंत्रित करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। एफपीओ जिसके तहत उद्योग चलाने का लाइसेंस प्राप्त होता है, लेड तथा संखिया (आर्सेनिक) की मानक स्वकृति प्रदान करता है, जो कि बोतलबंद पानी उद्योग की सीमा से 50 गुना ज्यादा हैं।

इससे ज्यादा क्या होगा कि इस उद्योग को उद्योग (विकास और नियंत्रण) अधिनियम, 1951 के तहत औद्योगिक लाइसेंसिंग के प्रावधानों से भी छूट मिली हुई है। इसे अपना काम चलाने के लिए खाद्यान्न उद्योग मंत्रालय से सिर्फ एक बार लाइसेंस प्राप्त करना होता है। इस लाइसेंस के लिए स्थानीय सरकार तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अप्रतिबंधित प्रमाण पत्र, और एक जल विश्लेषण रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है। इसके लिए कोई पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन या प्रभावी नियंत्रण कानून नहीं है। इसी कारण इन उद्योगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पानी पर कोई नियंत्रण नहीं रखा जा सका है।

इससे यह स्पष्ट है कि इन नियंत्रण कानूनों में जनता के स्वास्थ्य का पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया है। परन्तु यह एक दुर्भाग्य है कि दुनिया की दो विशाल कम्पनियां, जो कार्पोरेट की जिम्मेदारी और अंतर्राष्ट्रीय मानक सिद्धांत के अनुपालन का दम भरते हैं, वे ही यह दुष्कर्म करते पकड़े गए हैं, और ये भारत के कमजोर और बेमतलब के नियंत्रक मानकों का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। या हम यह कह सकते हैं कि वे हमारे स्वास्थ्य के साथ समझौता करने के लिए इनके मानकों को तय कर रहे हैं।

Cold comfort

Pesticides in soft drink brands in India

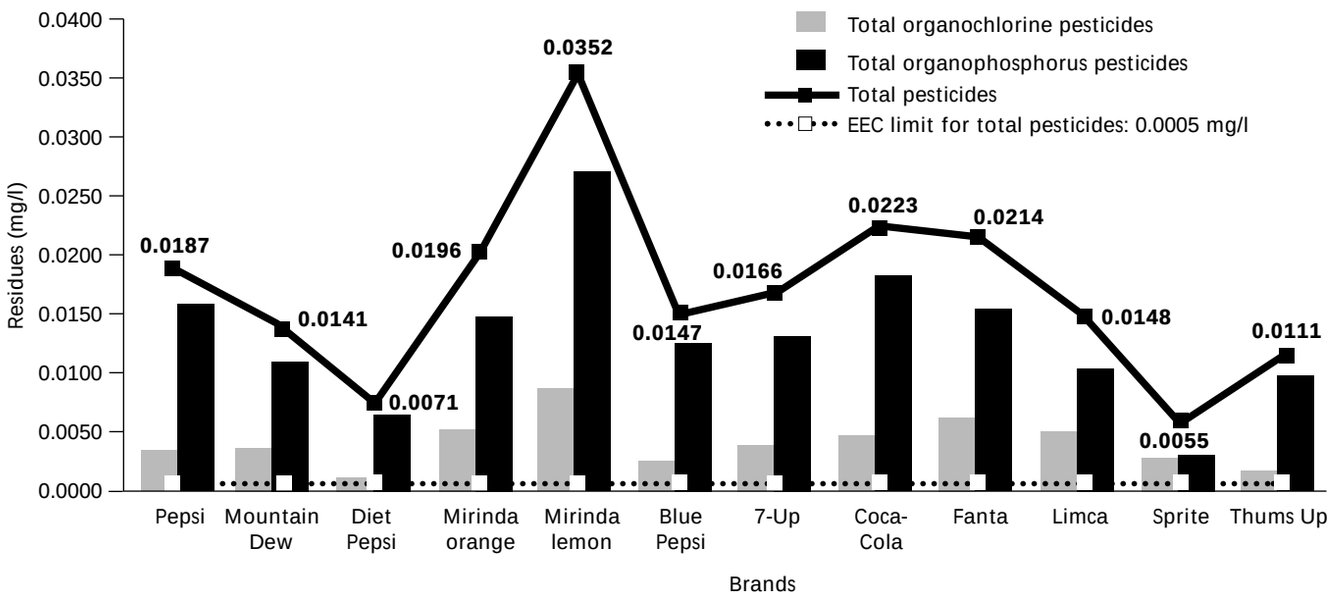

The power in regulations

In the US, regulations put a check on pesticides in cold drinks

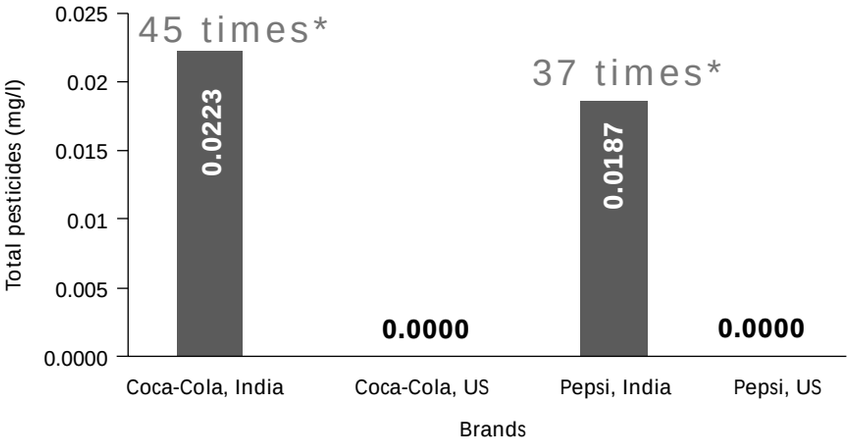

*Number of times in excess of EEC limit for total pesticide.

Cold drinks and bottled water

Same pesticides. Same levels

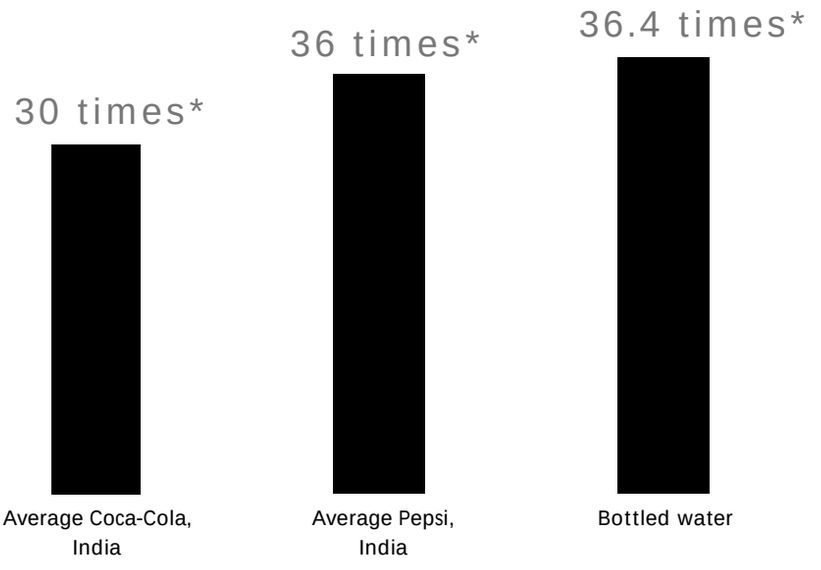

*Number of times in excess of EEC limit for total pesticide.

- डाउन टू अर्थ का सम्पूर्ण लेख,
- सीएसई प्रयोगशाला की सम्पूर्ण रिपोर्ट
- प्रेस कान्फ्रेंस की प्रस्तुति, और
- इस प्रेस विज्ञप्ति को सीधे देखने, उसकी तस्वीरें प्राप्त करने या इसे दोस्तों को भेजने के लिए कृपया हमारी वेबसाइट खोलकर देखें: **http://www.cseindia.org/html/cola-indepth/index.htm**

अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ई–मेल करें: **media@cseindia.org** या
हमें फोन करें: **9810098142**